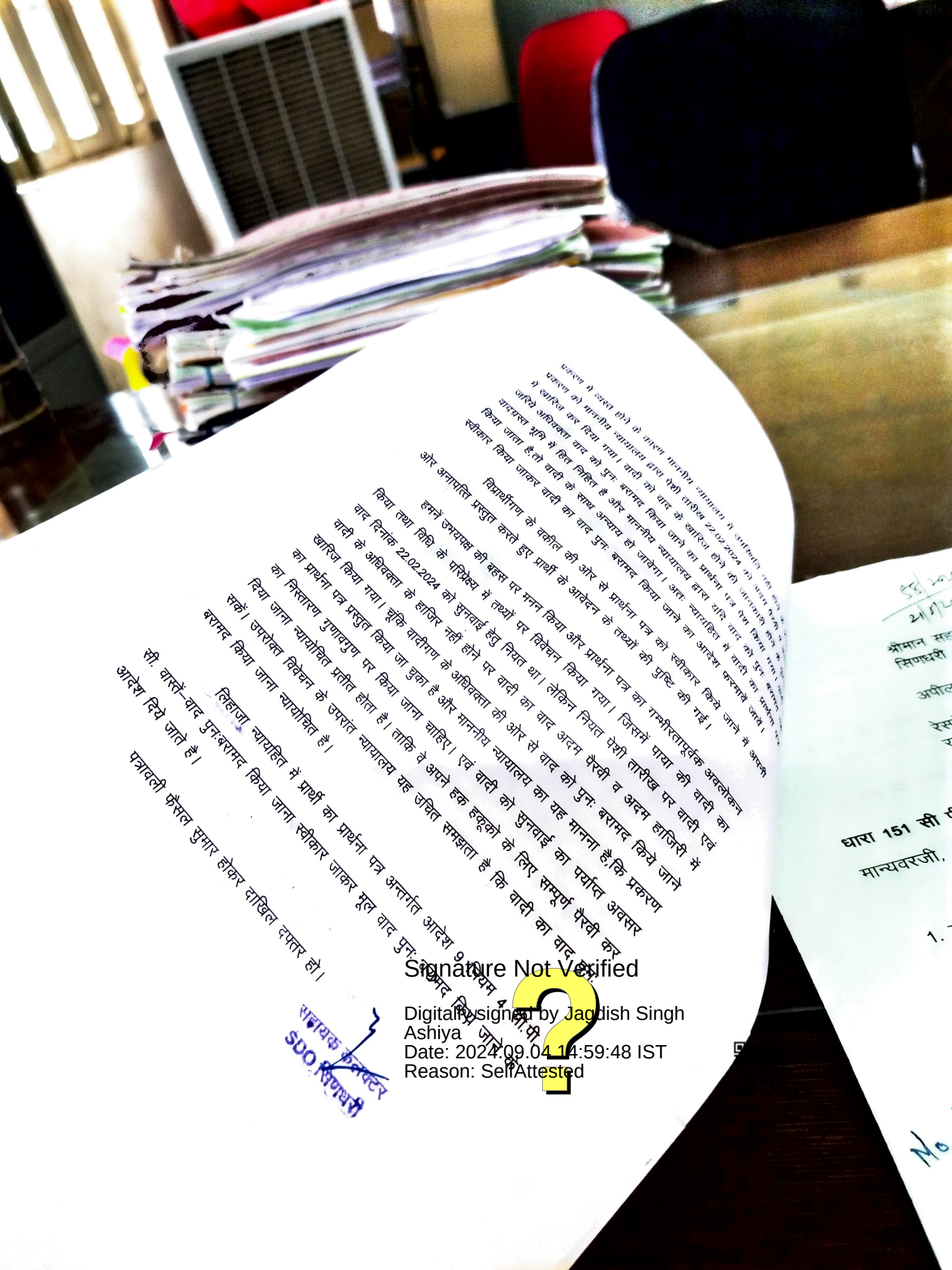

प्रकरण में व्यस्त होने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थिति नहीं होने ...
प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा पेशी तारीख 22.02.2024 को अदम पैरवी में ...
में खारिज कर दिया गया। वादी को वाद के खारिज होने की जानकारी होने के ...
जरिये अधिवक्ता वाद को पुनः बरामद किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वादी ...
वादग्रस्त भूमि में हित निहित है और माननीय न्यायालय द्वारा यदि वाद को पुनः बरामद ...
किया जाता है,तो वादी के साथ अन्याय हो जावेगा। अतः न्यायहित में वादी का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमावें जावें।

विप्रार्थीगण के वकील की ओर से प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी और अनापत्ति प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के आवेदन के तथ्यों की पुष्टि की गई।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और प्रार्थना पत्र का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। जिसमें पाया की वादी का वाद दिनांक 22.02.2024 को सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर वादी एवं वादी के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर वादी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि वादीगण के अधिवक्ता की ओर से वाद को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है,कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। एवं वादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय यह उचित समझता है कि वादी का वाद पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी. सी. वास्तें-वाद पुनःबरामद किया जाना स्वीकार जाकर मूल वाद पुनः बरामद किया जाकर आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:59:48 IST
Reason: SelfAttested